(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 104 / 2023 **सीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 415**

1. सुरेश कुमार पुत्र जयलाल उम्र 52 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. पपीता देवी पत्नी करण सिंह पुत्र वधु जयलाल उम्र 44 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. अमित कुमार पुत्र करण सिंह उम्र 13 साल नाबालिग जरिये संरक्षक अभिमित्र माता पपीता देवी पत्नी करण सिंह पुत्र वधु जयलाल उम्र 44 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. निशु पुत्री करण सिंह उम्र साल नाबालिग जरिये संरक्षक अभिमित्र माता पपीता देवी पत्नी करण सिंह पुत्र वधु जयलाल उम्र 44 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
5. नितु पुत्री करणसिंह नवीरा जयलाल उम्र 20 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

............वादीगण

बनाम

1. जयलाल पुत्र मामचन्द उम्र 83 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
2. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र जयलाल नवीरा मामचन्द उम्र 43 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
3. रामरति पुत्री जयलाल पत्नी मांगेराम उम्र 61 साल जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद आर्य नगर तहसील व जिला चरखी दादरी हरि०
4. मुन्नी पुत्री जयलाल पत्नी करण सिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० हाल आबाद आर्य नगर तहसील व जिला चरखी दादरी हरि०
5. निर्मला पुत्री हंसकौर पत्नी धर्मेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी हाल आबाद बिगोदना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राज०
6. उषा पुत्री हंसकौर पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी हाल आबाद बिगोदना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

7. ममता पुत्री हंसकौर पत्नी सुनिल कुमार जाति जाट निवासी हाल आबाद भोजावास तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राज०
8. सुनिल कुमार पुत्र हंसकौर पत्नी भरथ सिंह जाति जाट निवासी हाल आबाद आर्यनगर तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरि०
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक राज० शाखा कुहाड़वास बुहाना जिला झुंझुनू
10. उपपंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबतः– घोषणात्मक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– **दिनांकः–**

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 के खाता स० 43 के ख० न० 187 रकबा 5.60 है० ख० न0 214 रकबा 0.34है० ख० न0 287 रकबा 0.77 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 है0 भूमि के एकांकी खातेदार कास्तकार वादीगण व प्रति० स० 2 ल० 4 के दादा मामचन्द पुत्र कुरडाराम तथा वादी स० 2 के दाद ससुर व वादी स० 3 ल० 5 के पड़दादा व प्रति० स० 5 ल० 8 के हकपूर्वक अधिकारी माता हंसकौर के दादा मामन्द पुत्रकुरडाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नप्रकार से है–

इस प्रकार खातेदार मामचन्द पुत्र कुरडा के एक पुत्र प्रति० स० 1 जयलाल हुआ तथा जयंलाल के तीन पुत्र वादी स० 1 तथा वादी स० 2 ल० 5 के पिता कर्ण सिंह व प्रति० स० 2 धर्मेन्द्र पैदा हुये तथा तीन पुत्रीयां रामरति, हंसकौर, मुन्नी हुई। जयलाल के एक पुत्र कर्ण सिंह व पुत्री हंसकौर फौत हो चुकी है जिसमें कर्ण सिंह के वारिसान वादी स० 2 ल० 5 तथा हंसकौर के वारिसान प्रति० स० 5 ल० 8 है इस प्रकार वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक सम्पति है जिसमें प्रति० स० 1 के साथ ही वादीगण का भी बराबर [illegible] इस प्रकार वाद वर्णित भूमि में 1/7 हिस्सा वंशावली के अनुसार है तथा [illegible] स० [illegible] का 1/7 तथा वादी स० 2 ल० 5 का 1/7 हिस्सा है जिसके [illegible] कब्जा [illegible] कीमुत काबिज अधिकारी है।

2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी मामचन्द फौत होने पर उक्त भूमि की खातेदारी प्रति० स० 1 के नाम से नामान्तरण [illegible]० 60 के अनुसार दिनांक 06.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

1998 को दर्ज हुआ है लेकिन वादीगण उसी समय से अपने 2/7 हिस्से की भूमि को कास्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक है जो प्रति० स० 1 जो की उसके पिता व दादा से हैरिटेज वंशानुगत प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का प्रति० स० 1 व 2 ल० 8 के साथ हिस्सा है प्रति० स० 1 का भी इस भूमि में 1/7 हिस्सा है तथा 1/7 हिस्सा वादी स० 1 व 1/7 हिस्सा वादी स० 2 ल० 5 का है तथा इस प्रकार से प्रति० स० 2 ने न्यायालय श्रीमान में एक वाद घोषणात्मक खातेदारी बउनवान धर्मेन्द्र बनाम जयलाल पेश कर अपने हक में 1/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवा चुका है शेष 6/7 हिस्सा प्रति० स० 1 के नाम दर्ज है उसमें से वादी स० 1 का 1/7 व वादी स० 2 ल० 5 के 1/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाकर अपने नाम से दर्ज करवाने का वाजिब अधिकारी है।

3. यह कि वादीगण के पिता ने अपनी पैत्रक भूमि का आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है उसी अनुसार मौके पर अपने 1/7, 1/7 हिस्से पर काबिज कास्त है तथा प्रति० स० 3 से 8 ने अपना हिस्सा अपने भाईयों को बटाई पर दे रखा है तथा 1/7 हिस्सा प्रति० स० 1 स्वयं कास्त करता है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि वंशानुगत के अनुसार प्रति० स० 1 के हिस्से में दर्ज है लेकिन उसमें वादी स० 1 का 1/7 हिस्सा व वादी स० 2 ल० 5 का 1/7 हिस्सा पैत्रक होने से उनके जन्म से ही उनको उतराधिकार स्वरूप प्राप्त हो चुका है जिसमें वादीगण कास्त करते है जिसमें से प्रति० स० 2 ने तो अपना 1/7 हिस्सा की भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा चुका है अब प्रति० स० 1 की खातेदारी में 6/7 भूमि दर्ज है लेकिन उसका मात्र 1/7 हिस्सा है शेष 5/7 हिस्सा उसके अन्य वारिसान का है प्रति० स० 1 की उम्र 83 वर्ष हो चुकी है जिसकी दिमागी हालत ठिक नहीं है तथा उसको अब भले बुरे की पहचान नहीं है तथा अब प्रति० स० 1 ने अपने नाम से दर्ज 6/7 हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देना शुरू कर दिया है तथा यह भी धमकी दे रहा है कि उसके नाम से दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का रहन दान बेचान कर खुर्द बुर्द करेगा। जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रति० स० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है इसलिए वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि वादीगणव प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है जिसमें उसका मात्र 1/7 हिस्सा है लेकिन वर्तमान में उसके नाम 6/7 हिस्सा दर्ज है लेकिन अब प्रति० स० 1 का गाँव के कुछ भूमाफियाओं ने बहला फुसला रखा है इसलिए प्रति० स० 1 गत सप्ताह से सरेआम धमकी दे रहा है कि वह उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर किसी दिगर को रहन दान बेचान व हस्तांतरित करेगा। जबकि इस भूमि में वादी स० 1 का 1/7 व वादी स० 2 ल० 5 का 1/7 हिस्सा है जिसमें वादीगण ने कुछ हिस्से पर मकानात भी बना रखे है व परिवार सहित आबाद है यदि प्रति० स० 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उक्त भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द कर देता है तो वादीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षतिहोगी जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन नही किया जा सकेगा। इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है।

6. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने से तथा वादीगण का 2/7 हिस्सा अपने नाम दर्ज नहीं होने से तथा प्रति० स० 1 द्वारा खुर्द बुर्द करने की धमकी देने से पैदा हुआ है।

7. यह कि विवादीत वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना में स्थित होने से उक्त वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।

8. यह कि प्रति० स० 3 ल० 8 की भी उक्त भूमि पैतृक होने से उनको प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० स० 9 से प्रति० स० 2 ने लोन ले रखा है इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति० स० 9 बैंक व 10 उपपंजियक होने से तथा प्रति० स० 11 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि वाद पत्र घोषणात्मक हेतु 1 रूपये कोर्ट फीस रिकार्ड दुरूस्ती हेतु 1 रूपये कोर्ट फीस व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1 रूपये कोर्ट फीस नियत है इस प्रकार वाद कुल 3 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

10. यह कि वाद पत्र नवीनतम रिकार्ड के साथ पेश है वादीगण द्वारा कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

11. यह कि वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित भूमि के खाता स0 14 के ख० न० 187 रकबा 5.60 है० ख० न० 214 रकबा 0.34 है० ख० न० 287 रकबा 0. 77 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 है0 भूमि में प्रति० स० 1 के हिस्से में दर्ज 6/7 हिस्सा में से वादी स० 1 को 1/7 हिस्सा व वादी स० 2 ल० 5 को 1/7 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा उक्त 2/7 हिस्स प्रति० स० 1 के हिस्से में से कम किया जावे।

(ख). कि प्रति० स० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना स्थित [illegible] 5.60है० ख० न० 214 रकबा 0.34 है0 ख० न० 287 रकबा 0.77 है0 [illegible] 3 कुल रकबा 6.71 है0 में दर्ज 6/7 हिस्सा को जब तक वाद पत्र का निस्तार[illegible]ना हो तब तक किसी अन्य को दान रहन बेचान या किसी प्रकार से अन्य को हस्तानान्तरीत ना करे ऐसा ना स्वयं करे तथा ना ही अपने परिचित, मित्रों आदि से करावे। तथा प्रति० स० 10 को भी जरिये

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रति० स० 1 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को तस्दीक ना करे।

(ग). कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जावे।

(घ). कि अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की और से श्री अंकित यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा इकबालिया जवाब दिनांक 29.05.2024 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 14.07.2025 को लाई गई।

<u>प्रतिवादी सं. 2,3,4,5,6,7,8 की ओर से इकबालिया जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–</u>

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 2 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 3 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 4 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 5 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 6 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 7 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 8 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 9 जिस भांति दर्ज है स्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 10 बाबत कोर्ट फिस है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।
11. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 11 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
12. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 12 जिस भांति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अनुतोष वादीगण ... की घोषणा करवाकर अपने–अपने हिस्से ... है। वादीगण अपने हिस्से अपने नाम करवाते है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। शेष की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण की पैतृक जमीन है जिसके जन्म से अधिकार निहित है अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2054–2057, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, मिलान क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 14 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0. 77 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज 6/7 हिस्सा में से वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 5 को 1/7 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया आदेश दिया जाता है। तथा उक्त 2/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 14/7/25 को मेरे द्वारा लिखा[illegible] बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 104/2023 **जीसीएमएस नम्बर :– 2023/415**

सुरेश कुमार वर्गे बनाम जयलाल आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से श्री अंकित यादव एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 14 के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0. 77 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज 6/7 हिस्से में से वादी संख्या 1 को 1/7 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 5 को 1/7 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया आदेश दिया जाता है। तथा उक्त 2/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम किया जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)